संख्या-236/2026/817के-2/22-3-2025-17(1075)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 09 जुलाई, 2026

विषयः- जिला कारागार, सुलतानपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतीश कुमार उर्फ सतई श्री बाबू लाल, निवासी जनपद-अमेठी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-**36096**/प्रोबे**0**-5-दया0 बैठक-01-09-2025, दिनांक 15.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सुलतानपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतीश कुमार उर्फ सतई पुत्र श्री बाबू लाल, जो ग्राम-रामशाला थाना- मोहनगंज, जनपद-अमेठी का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 30.01.2018 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बम व असलहा से फायरिंग करके एक व्यक्ति की हत्या कारित की गई। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-213/2018 व 235/18 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 व 3 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं 3/25 आयुध अधिनियम में मा0 न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, सुलतानपुर के आदेश दिनांक 25.10.2024 द्वारा आजीवन करावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी द्वारा दिनांक 15-05-2025 तक 06 वर्ष, 08 माह, 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 06 वर्ष, 09 माह, 17 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है तथा बन्दी की आयु 43 वर्ष है।

जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की उम्र को देखते हुए भविष्य में अपराध किये जाने की आशंका से इंकार नहीं किये जाने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, किसी संज्ञेय अपराध की पुनरावृत्ति से इंकार नहीं किये जाने के दृष्टिगत रिहाई का विरोध करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

दयायाचिका समिति द्वारा सिद्धदोष बन्दी सतीश कुमार उर्फ सतई पुत्र श्री बाबू लाल की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 15.05.2025 तक 43 वर्ष की आयु एवं मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 15.05.2025 तक अपरिहार 06 वर्ष, 08 माह, 29 दिन तथा सपरिहार 06 वर्ष, 09 माह, 17 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने एवं पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, अमेठी द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, सुलतानपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतीश कुमार उर्फ सतई (बंदी संख्या-236/24) पुत्र श्री बाबू लाल, निवासी जनपद-अमेठी की "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 जिला मजिस्ट्रेट, अमेठी।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, सुलतानपुर।

3- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।